



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276382
CG-DL-E-22092026-276382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4972]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4972]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5178(अ).—केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दूरसंचार उपस्कर के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्र. सं.	पुनरीक्षित मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 45070:2026 वर्गीय अपेक्षाएँ

	सेलुलर प्रणालियों के लिए 40, 30 एवं 20 मीटर ऊँचाई वाले टावर
2.	टी ई सी 59061:2026 परीक्षण निर्देशिका ट्रंक मीडिया गेटवे

[फा. सं. 24-01/2025-एसटीडी/टीईसी]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department Of Telecommunications)****(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5178(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Sl. No.	Number and name of revised standard
(1)	(2)
1.	TEC 45070:2026 Generic Requirements 40, 30 and 20 meter towers for cellular systems
2.	TEC 59061:2026 Test Guide Trunk Media Gateway

[F. No. 24-01/2025-STD/TEC]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276472
CG-DL-E-24092026-276472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4970]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4970]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2026

का.आ. 5176(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से राष्ट्रीय मानकों के रूप में अंगीकृत के लिए दूरसंचार उपस्कर के लिए निम्नलिखित टेलीकम्युनिकेशन्स स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी, इंडिया - ट्रांसपोज्ड मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्रम संख्या	टी एस डी एस आई -ट्रांसपोज्ड मानकों के नाम
(1)	(2)
1.	टी एस डी एस आई -ट्रांसपोज्ड 3जीपीपी मानक (रिलीज़ 15-18), टीएसजी#109 का परिणाम, कुल 202 दस्तावेज़

2. उपर्युक्त ट्रांसपोज्ड मानकों के विरुद्ध अपनाए गए राष्ट्रीय मानक वेबसाइट (www.tec.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

[फा. सं. 24-04/2026- एसटीडी /टीईसी]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department Of Telecommunications)

(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2026

S.O. 5176(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following Telecommunications Standards Development Society, India-transposed standards for telecommunication equipment for adoption as National Standards with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Sl. No.	Name of the TSDSI-transposed standards
(1)	(2)
1.	TSDSI-transposed 3GPP Standards (Release 15–18), outcome of TSG#109, total 202 documents

2. The adopted national standards against the above transposed standards are available on <https://www.tec.gov.in>.

[F. No. 24-04/2026-STD/TEC]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276473
CG-DL-E-24092026-276473

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4973]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4973]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)
(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितंबर, 2026

का.आ. 5179(अ).—केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दूरसंचार उपस्कर के लिए निम्नलिखित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्र. सं.	मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 66101:2026 परीक्षण निर्देशिका वाई-फाई टर्मिनलों एवं अन्य समान दूरसंचार टर्मिनलों हेतु सौर फोटोवोल्टाइक आधारित स्वतंत्र/हाइब्रिड विद्युत आपूर्ति प्रणाली

2.	टी ई सी 49141:2026 परीक्षण निर्देशिका इंट्रूशन प्रेवेंशन सिस्टम
3.	टी ई सी 88321:2026 परीक्षण निर्देशिका पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (एफटीटीएच एप्लिकेशन के लिए)

[फा. सं. 24-01/2025-एसटीडी/टीईसी]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department Of Telecommunications)****(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5179(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: —

Sl. No.	Number and name of standards
(1)	(2)
1.	TEC 66101:2026 - Test Guide Solar Photo Voltaic (SPV) Based Standalone/Hybrid Power Supply for Wi-Fi Terminals & Other Similar Telecom Terminals
2.	TEC 49141:2026 - Test Guide Intrusion Prevention System
3.	TEC 88321:2026 - Test Guide Passive Optical Network Optical Time Domain Reflectometer (For FTTH Applications)

[F. No. 24-01/2025-STD/TEC]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276474
CG-DL-E-24092026-276474

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4971]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4971]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2026

का.आ. 5177(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दूरसंचार उपस्कर के लिए निम्नलिखित पुनरीक्षित मानकों को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्र. सं.	पुनरीक्षित मानकों की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 49111:2026 परीक्षण निर्देशिका तत्व प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिए (एन जी एन)

2.	टी ई सी 52011:2026 परीक्षण निर्देशिका स्ट्रक्चर्ड लैन केबलिंग
----	--

[फा. सं. 24-01/2025-एसटीडी/टीईसी-भाग(1)]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department Of Telecommunications)****(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2026

S.O. 5177(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following revised standards for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Sl. No.	Number and name of revised standards
(1)	(2)
1.	TEC 49111:2026 Test Guide Element Management System (eMS) for Next Generation Network (NGN)
2.	TEC 52011:2026 Test Guide Structured LAN Cabling

[F. No. 24-01/2025-STD/TEC-Part(1)]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General